रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273284
CG-DL-E-10062026-273284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948
No. 382]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं. पीएफआरडीए/16/02/05/0001/2021-आरईजी-एनपीएसटी - पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (ङ), (ण) और (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

2. ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित (इसके पश्चात 'मूल विनियम' के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

I. मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (झ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(झ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास परिसम्पत्ति" से अभिप्राय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नामे धारित अभिदाताओं की परिसंपत्तियां, न्यासी बैंक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में धारित अभिदाताओं की निधियां और ऐसी चल और अचल दोनों अन्य परिसम्पत्तियों से है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बहीखातों में यथा अभिलेखित हों ।

इन परिसंपत्तियों में, अभिदाताओं की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नामे और उसके द्वारा धारित नकदी, प्रतिभूतियाँ तथा प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में यथानिर्दिष्ट अन्य लिखतें शामिल होंगी ।”

II. मूल विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (2) के खंड (xix) को हटाया जाएगा ;

शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./152/2026-27]

टिप्पणी :

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 12 मार्च, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III , खंड 4 , संख्या 79 में प्रकाशित किया गया था।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 , संख्या 270 में प्रकाशित किया गया था।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 295 में प्रकाशित किया गया था।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 14 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 240 में प्रकाशित किया गया था।
5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 240 में प्रकाशित किया गया था।
6. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/02/05/0001/2021-आरईजी-एनपीएसटी के माध्यम से दिनांक 7 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, संख्या 82 में प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

Pension Fund Regulatory And Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. PFRDA/16/02/05/0001/2021-REG-NPST — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e), (o) and clause (v) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2026.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. Clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(i) "Assets of the National Pension System Trust" shall mean the assets of the subscribers held in the name of the National Pension System Trust, the funds of the subscribers held in the account of National Pension System Trust with Trustee Bank, and such other assets both moveable and immoveable, as are recorded in the books of accounts of National Pension System Trust.

These assets shall comprise cash, securities and any other instruments as determined in the investment guidelines issued by the Authority and held by and in the name of the National Pension System Trust, on behalf of the subscribers."

II. Clause (xix) of sub-regulation (2) of regulation 11 of the principal regulations shall be deleted;

SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./152/2026-27]

Note:

1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 12th March, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 79.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 29th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 270.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 29th July, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 295.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2021 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 14th June, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 240.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2023 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 17th April, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 240.
6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2023 were published vide Notification No. PFRDA/16/02/05/0001/2021-REG-NPST, on the 7th February, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 82.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.10 15:17:03 +05'30'